

One Liner

CPC

प्रश्न 327. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 कब से प्रवृत्त की गई है ?

उत्तर— 1 जनवरी, 1909 से प्रवृत्त की गई है। [धारा 1(2) सिविल प्रक्रिया संहिता]

प्रश्न 328. सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत नवीनतम महत्त्वपूर्ण संशोधन कब-कब किये गये हैं ?

उत्तर— सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन 1999 एवं 2002 में किये गये हैं।

प्रश्न 329. सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम, 1999 एवं 2002 के प्रावधान किस दिनांक से लागू किये गये ?

उत्तर— सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम, 1999 एवं 2002 के प्रावधान 1 जुलाई, 2002 से लागू किये गये।

प्रश्न 330. सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम, 1999 एवं 2002 के संशोधनों का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

उत्तर— सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम, 1999 एवं 2002 का मुख्य उद्देश्य संशोधनों के द्वारा न्याय में विलम्ब को रोकना और वादों एवं कार्यवाहियों का शीघ्र निस्तारण करना।

प्रश्न 331. क्या उच्च न्यायालय द्वारा इस संहिता के प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ, सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश है वह प्रारूप के रूप में उसमें संशोधन किये जा सकते हैं और ऐसा संशोधन संहिता का भाग बन जाते हैं।

प्रश्न 332. क्या यह संहिता अपने आप में पूर्ण है ?

उत्तर— नहीं, यह संहिता अपने आप में पूर्ण नहीं है यह पूरे देश के लिये एक प्रक्रिया विहित नहीं करती है यह स्थानीय विधि एवं विशेष विधि पर लागू नहीं होती है।

प्रश्न 333. सिविल प्रक्रिया संहिता किस प्रकार की विधि है ?

उत्तर— यह अधिनियम समवर्ती विधायी शक्ति के रूप में है जिसकी रचना केन्द्रीय विधायिका के द्वारा हुई लेकिन स्थानीय आवश्यकताओं के लिये इस संहिता में राज्य विधान-मण्डलों के द्वारा संशोधन किया जा सकता है।

प्रश्न 334. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में कितनी धारायें और कितने आदेश हैं ?

उत्तर— सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में 158 धारायें और 51 आदेश हैं।

प्रश्न 335. सिविल प्रक्रिया संहिता प्रक्रिया विधि है या मौलिक विधि है ?

उत्तर— सिविल प्रक्रिया संहिता प्रक्रिया विधि है।

प्रश्न 336. सिविल प्रक्रिया संहिता में किस-किस के द्वारा संशोधन किया जा सकता है ?

उत्तर— सिविल प्रक्रिया संहिता में 1. राज्य के विधानमण्डल द्वारा 2. उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन किया जा सकता है।

प्रश्न 337. सिविल प्रक्रिया संहिता में धारायें और आदेशों को स्पष्ट करो ?

उत्तर— धारायें—प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांत हैं तथा आदेश वो इन सिद्धांतों की लागू करने की प्रक्रिया के रूप में हैं।

प्रश्न 338. क्या सिविल प्रक्रिया संहिता की द्वितीय अनुसूची में न्यायालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के प्रारूप निश्चित प्रकृति के नहीं होते हैं ?

उत्तर— नहीं, यह प्रारूप निश्चित प्रकृति के नहीं होते हैं क्योंकि अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय द्वारा और प्रारूप विहित किये जा सकते हैं।

प्रश्न 339. यदि किसी विषय पर सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान नहीं हैं तो वहाँ कौनसी विधि लागू होगी ?

उत्तर— ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय की अन्तर्निहित शक्ति काम आती है।

प्रश्न 340. सिविल प्रक्रिया संहिता में ज्यादा संशोधन कब-कब किये गये एवं लागू कब से हुये हैं ?

उत्तर— सिविल प्रक्रिया संहिता में मुख्य संशोधन 1976 (1.2.1977 से लागू), 1999 एवं 2002 में किये गये हैं। हाल ही में 1999 एवं 2002 के संशोधन 1.7.2002 से लागू किये गये हैं।

प्रश्न 341. डिक्री को परिभाषित करो ?

उत्तर— यह न्यायिक निर्णयों की औपचारिक अभिव्यक्ति है जो न्यायालय द्वारा वाद में विवादग्रस्त पत्रकारों के अधिकारों का अन्तिम रूप से निर्णित करता है। [धारा 2(2)]

प्रश्न 342. डिक्री के आवश्यक तत्त्व बताइये।

उत्तर— (i) न्याय निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति (ii) न्याय निर्णयन द्वारा विवादग्रस्त विषयों में से सब या किन्हीं के बारे में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से निस्तारण। (सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2[2])

प्रश्न 343. अन्तिम डिक्री से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर— अन्तिम डिक्री वो कहलाती है जब कोई सिविल न्यायालय का न्याय निर्णयन वाद का सम्पूर्ण रूप से विनिश्चय करता है, वह डिक्री अन्तिम होती है।

प्रश्न 344. क्या डिक्री प्रारम्भिक और अन्तिम दोनों प्रकार की हो सकती हैं ?

उत्तर— हाँ।

प्रश्न 345. क्या किसी चूक के कारण कोई वाद खारिज होता है, तो क्या ऐसा आदेश डिक्री माना जायेगा ?

उत्तर— ऐसा आदेश डिक्री में सम्मिलित नहीं माना जावेगा। (धारा 2(2) का परन्तुक)

प्रश्न 346. वेतन के बकाया के लिये क्या प्रारम्भिक डिक्री पारित की जा सकती है ?

उत्तर— नहीं।

प्रश्न 347. अगर राजीनामे के आधार पर कब्जा प्राप्त करने और अन्तरण रोकने के सम्बन्ध में डिक्री दी गई है तो क्या ऐसी डिक्री वैध मानी जायेगी ?

उत्तर— हाँ, ऐसी डिक्री वैध मानी जावेगी।

प्रश्न 348. डिक्री की परिभाषा में कौन-से आदेश सम्मिलित नहीं हैं ?

उत्तर— (1) न्यायालय का ऐसा निर्णय जिसकी अपील आदेश की भांति होती है।
(2) चूक के कारण वाद की बर्खास्तगी।

प्रश्न 349. आदेश से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति जो डिक्री नहीं है आदेश है।

प्रश्न 350. क्या वाद पत्र का खारिज किया जाना है निर्णय है ?

उत्तर— हाँ, वाद पत्र का खारिज किया जाना निर्णय है।

प्रश्न 351. डिक्री कितने प्रकार की होती है स्पष्ट करो ?

उत्तर— डिक्री दो प्रकार की होती है— 1. प्रारम्भिक 2. अन्तिम।

प्रश्न 352. प्रारम्भिक डिक्री क्या है ?

उत्तर— ऐसी डिक्री जिसमें वाद में अन्तिम निर्णय के लिये कुछ कार्यवाहियाँ बकाया रह गई हैं।

प्रश्न 353. औपचारिक अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— वाद पत्र में वादी ने जो विवादक तथ्य रखे हैं उसे न्यायालय द्वारा स्वीकार या अस्वीकार करना औपचारिक अभिव्यक्ति कहलाती है।

प्रश्न 354. न्यायिक निर्णय से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— ऐसा निर्णय जो न्यायालय दोनों पक्षकारों के विवादित बिन्दु को सुनकर देता है न्यायिक निर्णय कहलाता है।

प्रश्न 355. क्या अंकिचन वाद-पत्र में प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना क्या डिक्री है ?

उत्तर— नहीं, अंकिचन वाद पत्र में प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना डिक्री नहीं है।

प्रश्न 356. सहमति की डिक्री से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— न्यायालय के द्वारा पक्षों की सहमति या राजीनामों के आधार पर जो डिक्री जारी की जाती है उसे सहमति कहते हैं।

प्रश्न 357. निर्णय से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— डिक्री अथवा आदेश के आधार पर न्यायालय के कथन को निर्णय कहते हैं।

प्रश्न 358. डिक्रीदार से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— वह व्यक्ति जिसके पक्ष में डिक्री दी जाती है।

प्रश्न 359. क्या ऐसे व्यक्ति के पक्ष में डिक्री दी जाती है जो वाद का पक्षकार नहीं है ?

उत्तर— हाँ, जो वाद में हित रखता है उसके पक्ष में डिक्री दी जा सकती है।

प्रश्न 360. क्या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री दी जा सकती है जो पक्षकार नहीं है ?

उत्तर— नहीं, सामान्यतः नहीं दी जाती है लेकिन अगर प्रतिभू देता है तो दी जा सकती है।

प्रश्न 361. विधिक प्रतिनिधि से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— विधिक प्रतिनिधि ऐसा व्यक्ति है जो किसी मृतक की सम्पदा का विधिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है।

प्रश्न 362. मध्यवर्ती लाभ से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— सम्पत्ति पर दोषपूर्ण कब्जे से ब्याज सहित प्राप्त लाभ जिन्हें मामूली तत्परता से प्राप्त किया जा सकता था मध्यवर्ती लाभ कहते हैं।

प्रश्न 363. विधिक प्रतिनिधि से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— मृतक की सम्पदा का विधिक प्रतिनिधित्व करने वाला अथवा सम्पदा में हस्तक्षेप करने वाला अथवा पक्षकार की मृत्यु पर जिसे सम्पदा न्यायगत होती हो। (सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2[11])

प्रश्न 364. "अन्तःकालीन लाभ" से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— अन्तःकालीन लाभ से तात्पर्य सम्पत्ति पर संदोष कब्जे से ब्याज सहित प्राप्त लाभ जिन्हें मामूली तत्परता से प्राप्त किया जा सकता था। (धारा 2[12])

प्रश्न 365. "प्लीडर" से क्या अभिप्रेत है ?

उत्तर— प्लीडर से सिविल न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के लिये उपसंज्ञात होने और अभिवचन करने का हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। (धारा 2[15])

प्रश्न 366. क्या प्रत्येक न्यायाधीश लोक अधिकारी की श्रेणी में आता है ?

उत्तर— हाँ। (धारा 2(17)[क])

प्रश्न 367. क्या अखिल भारतीय सेवा का प्रत्येक सदस्य लोकाधिकारी है ?

उत्तर— हाँ। (धारा 2(17)[ख])

प्रश्न 368. जिला न्यायालय किसके अधीन आता है ?

उत्तर— जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन आता है।

प्रश्न 369. क्या राजस्व न्यायालयों में सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती है ?

उत्तर— हाँ।

प्रश्न 370. राजस्व न्यायालय से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— ऐसे न्यायालय जिनका क्षेत्राधिकार, ऐसी भूमि जो कृषि कार्य के उपयोग में आती है के भारक, राजस्व, लगान आदि के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार रखते हैं।

प्रश्न 371. क्या राजस्व मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू हो सकते हैं ?

उत्तर— जहाँ राजस्व मामलों सम्पत्ति के स्वामित्व या अधिकार का प्रश्न उत्पन्न होता हो वहाँ दीवानी न्यायालय ऐसे विवाद में क्षेत्राधिकार रखेंगे। (धारा 5)

प्रश्न 372. क्या सिविल न्यायालय सभी सिविलवादों का विचारण करने के लिये सक्षम है ?

उत्तर— सक्षम है, जब तक कि अन्यथा वर्जित नहीं किया हो।

प्रश्न 373. सिविल वाद में क्या धार्मिक पद के लिये वाद लाया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ।

प्रश्न 374. सिविल न्यायालय में क्या जन्म तारीख की घोषणा के बारे में वाद लाया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ।

प्रश्न 375. सिविल न्यायालय द्वारा अपनी आर्थिक अधिकारिता का प्रयोग कब किया जा सकता है ?

उत्तर— किसी सिविल न्यायालय को उसकी मामूली आर्थिक अधिकारिता से अधिक आर्थिक अधिकारिता नहीं होगी। (सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 6)

प्रश्न 376. न्यायालय निर्णय कितने समय में देगा ?

उत्तर— निर्णय उस दिन जिस दिन सुनवाई समाप्त हुई हो या भविष्यवर्ती दिन जो 30 दिन के अन्दर अन्यथा सुनवाई की तिथि से 60 दिन के अन्दर दे देगा। (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 1999)

प्रश्न 377. न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया जाता है तो न्यायालय के द्वारा कितने दिनों में डिक्री जारी की जाती है ?

उत्तर— डिक्री, न्यायालय के निर्णय देने के दिन से 15 दिन के अन्दर डिक्री जारी कर सकता है।

प्रश्न 378. दीवानी प्रकृति के वाद से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— कोई भी मामला जो दीवानी अधिकार के प्रवर्तन से सम्बन्ध रखता हो उसे दीवानी मामला कहा जाता है।

प्रश्न 379. समझौते से प्राप्त डिक्री और आदेशों पर क्या प्राङ्गन्याय का सिद्धान्त लागू होता है ?

उत्तर— नहीं।

प्रश्न 380. लोकहित वादों पर क्या प्राङ्गन्याय का सिद्धान्त लागू होता है ?

उत्तर— नहीं।

प्रश्न 381. सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बताइये।

उत्तर— आर्थिक, प्रारम्भिक, प्रादेशिक या स्थानीय, अपील्य और विशेष विषय के आधार पर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार हो सकते हैं।

प्रश्न 382. क्या मतदान करने का अधिकार दीवानी अधिकार है ?

उत्तर— हाँ, मतदान करने का अधिकार दीवानी अधिकार है।

प्रश्न 383. क्या जाति से सम्बन्धित वाद दीवानी वाद है ?

उत्तर— नहीं, जाति से सम्बन्धित वाद, दीवानी वाद नहीं है।

प्रश्न 384. क्या कोई पद या सम्पत्ति से सम्बन्धित वाद दीवानी प्रकृति का होता है ?

उत्तर— हाँ, पद या सम्पत्ति से सम्बन्धित वाद दीवानी प्रकृति का होता है चाहे उसके साथ जाति, शुल्क आदि लगा हुआ हो या नहीं।

प्रश्न 385. विचाराधीन वाद से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— जब पक्षकारों के मध्य पूर्व में ही विवादग्रस्त विषय पर कोई वाद विचाराधीन हो।

प्रश्न 386. पूर्वन्याय का सिद्धान्त क्या है ?

उत्तर— न्यायालय के द्वारा ऐसे वाद का विचारण नहीं किया जायेगा जिसका पूर्व में उसी विवादक तथ्य एवं पक्षकारों के मध्य अन्य सक्षम न्यायालयों में निपटारा हो चुका है। (धारा 11)

प्रश्न 387. पूर्वन्याय का उद्देश्य क्या है ?

उत्तर— पूर्वन्याय का मुख्य उद्देश्य न्यायिक निर्णयों को अन्तिमता प्रदान करना है।

प्रश्न 388. क्या सहप्रतिवादियों के मध्य पूर्वन्याय का सिद्धान्त लागू होता है ?

उत्तर— हाँ, सहप्रतिवादियों के मध्य पूर्वन्याय का सिद्धान्त लागू होता है।

प्रश्न 389. अवयस्क के वाद पर पूर्वन्याय का सिद्धांत लगता है ?

उत्तर— नहीं, यदि पूर्व निर्णय बिना वादार्थ संरक्षक के निर्णित हुआ है तो दूसरे वाद पर पूर्वन्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

प्रश्न 390. कोई वाद राजस्व से सम्बन्धित है जिसका निर्धारण राजस्व न्यायालय द्वारा होता है तो क्या यदि वाद सिविल न्यायालय में दायर किया जाता है तो क्या पूर्वन्याय का सिद्धांत लगेगा ?

उत्तर— नहीं, यहाँ पूर्वन्याय का सिद्धांत नहीं लगेगा।

प्रश्न 391. क्या लोकहित वादों पर पूर्वन्याय का सिद्धांत लागू होता है ?

उत्तर— नहीं, लोकहित वादों पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

प्रश्न 392. क्या समझौते से प्राप्त डिक्री पर पूर्वन्याय का सिद्धांत लागू होता है ?

उत्तर— नहीं, समझौते से प्राप्त डिक्री पर पूर्वन्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

प्रश्न 393. पूर्वन्याय का सिद्धांत कब लागू होता है ?

उत्तर— पूर्वन्याय का सिद्धांत तब लागू होता है जब पूर्व वाद सुना एवं निर्णित कर दिया गया हो।

प्रश्न 394. क्या एक पक्षीय डिक्री की स्थिति में पूर्वन्याय का सिद्धांत लागू होता है ?

उत्तर— हाँ, एक पक्षीय डिक्री की स्थिति में पूर्वन्याय का सिद्धांत लागू होता है।

प्रश्न 395. क्या चूक के कारण बर्खास्तगी पर पूर्वन्याय का सिद्धांत लगेगा ?

उत्तर— नहीं, चूक के कारण बर्खास्तगी पर पूर्वन्याय का सिद्धांत नहीं लगेगा।

प्रश्न 396. क्या obiter dicta पर पूर्वन्याय का सिद्धांत लागू होता है ?

उत्तर— नहीं।

प्रश्न 397. अतिरिक्त वाद का वर्जन से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— अगर किसी मामले में अतिरिक्त वाद किया जाना विधि द्वारा वर्जित किया गया है तो ऐसी वर्जना के कारण दावा दायर नहीं किया जा सकता है। (धारा 12)

प्रश्न 398. वाद कहाँ संस्थित किया जायेगा ?

उत्तर— जो उसका विचारण करने के लिये सक्षम होता, वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालयों में संस्थित किया जायेगा। (धारा 15] सिविल प्रक्रिया संहिता)

प्रश्न 399. क्या कोई वादकारण/अनुतोष न्यायालय के समक्ष टुकड़ों में पेश करता है तो क्या शेष टुकड़ों के लिये दुबारा दावा दायर किया जा सकता है ?

उत्तर— नहीं, धारा 12 यह कहती है कि किसी वाद से सम्बन्धित सभी वादकारण एवं अनुतोष एक बार में एक ही वादपत्र द्वारा न्यायालय में पेश किया जाना चाहिये बार-बार नहीं। (आदेश 2 नियम 2)

प्रश्न 400. वाद-पत्र कितनी प्रतियों (Copies) में पेश किया जाता है ?

उत्तर— दो प्रतियों में पेश किया जाता है। (आदेश 4, नियम 1(1) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन), 1999)

प्रश्न 401. क्या आदेश 8, नियम 8(क) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 के वाद प्रभाव में हैं ?

उत्तर— नहीं, क्योंकि यह विलोपित किया जा चुका है।

प्रश्न 402. एकपक्षीय कार्यवाही को क्या अपास्त करवाया जा सकता है ?
उत्तर— हाँ। (आदेश 9 नियम 13)

प्रश्न 403. दूसरे पक्षकार को सूचना दिये बिना क्या कोई डिक्री अपास्त की जा सकती है ?
उत्तर— नहीं। (आदेश 9, नियम 14)

प्रश्न 404. वादी जो अनुतोष चाहता है उपस्थित ना होने पर वाद खारिज हो जाता है तो क्या वादी उसी अनुतोष के लिये दुबारा वाद दायर कर सकता है ?
उत्तर— नहीं, दुबारा उस वादकारण के लिये वाद दायर नहीं किया जा सकता है। (आदेश 9 नियम 9)

प्रश्न 405. वैकल्पिक विवाद प्रस्ताव के किसी एक रीति को अपनाने का क्या न्यायालय निर्देश दे सकता है ?
उत्तर— हाँ। [आदेश 10, नियम 1(अ), (ब) व (स)] (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999)

प्रश्न 406. परिप्रश्नों का उत्तर कितनी समयावधि के भीतर-भीतर पेश किया जायेगा?
उत्तर— परिप्रश्नों का उत्तर 10 दिवस के भीतर-भीतर पेश किया जायेगा ? (आदेश 11, नियम 9)

प्रश्न 407. परिप्रश्नों के उत्तरों का क्या विचारण में उपयोग किया जा सकता है ?
उत्तर— हाँ, विचारण में उपयोग किया जा सकता है। (आदेश 11, नियम 22)

प्रश्न 408. वाद में स्वीकृति से क्या तात्पर्य है ?
उत्तर— जब दोनों पक्षकार एक-दूसरे के दस्तावेज को स्वीकृत करते हैं, उसे स्वीकृती करना कहा जाता है।

प्रश्न 409. न्यायालय विसंगत या अग्राह्य दस्तावेजों को क्या नामंजूर कर सकता है?
उत्तर— हाँ, नामंजूर कर सकता है। (आदेश 13 नियम 3)

प्रश्न 410. न्यायालय किसी दस्तावेज के परिबद्ध किये जाने का क्या आदेश दे सकता है ?
उत्तर— हाँ, आदेश दे सकता है। (आदेश 13, नियम 8)

प्रश्न 411. विवाद्यक विरचित किये जाने से पूर्व साक्षियों की या दस्तावेजों की क्या परीक्षा की जा सकती है ?
उत्तर— हाँ, परीक्षा की जा सकती है। (आदेश 14, नियम 4)

प्रश्न 412. न्यायालय को विवाद्यकों में क्या संशोधन करने का अधिकार है ?
उत्तर— हाँ, संशोधन करने का अधिकार है। (आदेश 14, नियम 5) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 413. दस्तावेज पेश करने के लिये क्या समन जारी किया जा सकता है ?
उत्तर— हाँ, समन जारी किया जा सकता है। (आदेश 16, नियम 6)

प्रश्न 414. तामील के लिये पक्षकार को क्या समन दिया जा सकता है ?
उत्तर— हाँ, समन दिया जा सकता है। (आदेश 16, नियम 7क)

प्रश्न 415. साक्षी के समन तामील होने के बाद भी उसके न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर क्या उसकी सम्पत्ति को कुर्क किया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ, उसकी सम्पत्ति को कुर्क किया जा सकता है। (आदेश 16, नियम 12)

प्रश्न 416. क्या वाद के उपशमन के बाद उसी वादकारण पर दुबारा वाद दायर किया जा सकता है ?

उत्तर— नहीं। (आदेश 22, नियम 9)

प्रश्न 417. यदि वादी अगर न्यायालय की आज्ञा के बिना वाद वापस ले लेता है तो क्या दुबारा उसी वादकारण पर वाद दायर किया जा सकता है ?

उत्तर— नहीं, (आदेश 23, नियम 1)

प्रश्न 418. विदेशी डिक्ली का निष्पादन कौन से कोर्ट द्वारा किया जा सकता है ?

उत्तर— विदेशी डिक्ली का निष्पादन प्रारम्भिक कोर्ट द्वारा किया जा सकता है।

प्रश्न 419. विदेशी न्यायालय से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— भारत के बाहर ऐसा न्यायालय जिसे ना तो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया और ना ही वह भारत सरकार द्वारा नियन्त्रित है।

प्रश्न 420. न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— मामले की सुनवाई करने व उसका विनिश्चय करने की न्यायालय की शक्ति को न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहते हैं।

प्रश्न 421. सर्वप्रथम वाद कौन से न्यायालय में जायेगा ?

उत्तर— सर्वप्रथम वाद निम्नतम न्यायालय में जायेगा। (धारा 1 से 15)

प्रश्न 422. क्या सर्वप्रथम वाद निम्नतम न्यायालय में जाना निर्देशात्मक है ?

उत्तर— नहीं, निम्नतम न्यायालय में जान सुविधा का भार है क्योंकि उच्चतम न्यायालय में प्रारम्भिक एवं अपीलीय दोनों अधिकार होने से वाद की बहुलता होती है।

प्रश्न 423. मूल क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— किसी मामले की प्रथम अवस्था में निपटारा करने की अधिकारिता को मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं।

प्रश्न 424. अपीलीय क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय, डिक्ली या आदेश की वैधता को विनिश्चय करने की अधिकारिता को अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं।

प्रश्न 425. दीवानी मामलों में निम्नतम अपीलीय अधिकारिता किसको है ?

उत्तर— जिला न्यायालय को।

प्रश्न 426. जिला न्यायालय को कौन से क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं ?

उत्तर— जिला न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार व अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।

प्रश्न 427. राजस्थान में सिविल न्यायालय (कनिष्ठ खण्ड) का आर्थिक क्षेत्राधिकार क्या है ?

उत्तर— सिविल न्यायालय (कनिष्ठ खण्ड) का आर्थिक क्षेत्राधिकार 25,000 रुपये तक होता है।

प्रश्न 428. राजस्थान में सिविल न्यायालय (वरिष्ठ खण्ड) को आर्थिक क्षेत्राधिकार कितना है ?
उत्तर— सिविल न्यायालय (वरिष्ठ खण्ड) का आर्थिक क्षेत्राधिकार 25,001/- से 50,000/- रुपये तक है।

प्रश्न 429. राजस्थान में अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश का आर्थिक क्षेत्राधिकार कितना है ?
उत्तर— राजस्थान में अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश का आर्थिक क्षेत्राधिकार 50,001 रुपये से unlimited तक का है।

प्रश्न 430. प्रथम अपील का क्षेत्राधिकार किस न्यायालय को प्राप्त है ?
उत्तर— जिला न्यायालय को।

प्रश्न 431. द्वितीय अपील का क्षेत्राधिकार किस न्यायालय को प्राप्त है ?
उत्तर— द्वितीय अपीलीय का क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय को है।

प्रश्न 432. उच्च न्यायालय के सन्दर्भ में प्रथम अपील से क्या तात्पर्य है ?
उत्तर— जिला न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में जो डिक्री या आदेश के विरुद्ध जो अपील की जाती है उसे प्रथम अपील कहते हैं।

प्रश्न 433. उच्च न्यायालय के सन्दर्भ में द्वितीय अपील से क्या तात्पर्य है ?
उत्तर— जब अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में जिला न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसके विरुद्ध जो अपील होती है उसे द्वितीय अपील कहते हैं।

प्रश्न 434. सामान्यतः किन परिस्थितियों में द्वितीय अपील की जाती है ?

उत्तर— जब वाद में विधि का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होता है तब द्वितीय अपील की जाती है।

प्रश्न 435. अचल सम्पत्ति में सन्दर्भ स्थानीय क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— अचल सम्पत्ति के सन्दर्भ में स्थानीय क्षेत्राधिकार से तात्पर्य ऐसे न्यायालय में दावा दायर किया जायेगा जहाँ अचल सम्पत्ति स्थित है।

प्रश्न 436. दावा व्यक्तिगत दायित्व का है तो वाद कहाँ दायर किया जायेगा ?

उत्तर— ऐसी स्थिति में दावा वहाँ दायर किया जायेगा जहाँ प्रतिवादी निवास करता है या कारोबार करता है।

प्रश्न 437. जहाँ वाद दायर करने की अनिश्चितता हो वहाँ दावा किस न्यायालय में दायर किया जायेगा ?

उत्तर— वहाँ वाद अनिश्चित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय में दायर किया जा सकता है बशर्ते न्यायालय ने ऐसा वाद स्वीकार करते समय अभिलेख पर अनिश्चितता का उल्लेख किया हो।
(धारा 18)

प्रश्न 438. 'ख' पर विनिमय-पत्र के आधार पर 'क' वाद लाता है। 'ख' अभिकथन करता है कि 'क' ने 'ख' के माल का बीमा कराने में सदोष उपेक्षा की है और 'क' उसे प्रतिकर देने के लिये दायी है, जिसके मुजरा का दावा 'ख' करता है। क्या इसका मुजरा किया जा सकता है ?

उत्तर— यह राशि अभिनिश्चित नहीं होने के कारण से मुजरा नहीं की जा सकती है।

प्रश्न 439. 'क' 500 रुपये के विनिमय-पत्र के आधार पर 'ख' वाद लाता है। 'क' के विरुद्ध 1,000 रुपये के लिये निर्णय 'ख' के पास है। क्या इसे मुजरा किया जा सकता है?

उत्तर— हाँ, क्योंकि उक्त दोनों दावे निश्चित धन संबंधी मांग होने के कारण मुजरा किये जा सकते हैं।

प्रश्न 440. अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध या सम्पत्ति के विरुद्ध अपकृत्य या अपकार किया जाता है तो दावा कहाँ दायर किया जा सकता है?

उत्तर— (1) जहाँ अपकृत्य या अपकार किया गया उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में।

(2) जहाँ प्रतिवादी रहता है उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। (धारा 19)

प्रश्न 441. "ख" की मानहानि करने वाला कथन दिल्ली में निवास करने वाला "क" कलकत्ता में प्रकाशित करता है "ख" "क" पर वाद किस स्थान पर लायेगा?

उत्तर— "ख" कलकत्ता में या देहली में "क" पर वाद ला सकता है।

प्रश्न 442. 'क' कलकत्ता में व्यापारी 'ख' दिल्ली में कारोबार करता है। 'ख' कलकत्ता में अपने अभिकर्ता के द्वारा 'क' से माल खरीदता है और ईस्ट इंडिया कम्पनी को उसका परिदान करने को 'क' से प्रार्थना करता है 'क' तदनुसार माल का परिदान कलकत्ता में करता है। 'क' माल की कीमत के लिये 'ख' के विरुद्ध कहाँ वाद ला सकता है?

उत्तर— 'क' माल की कीमत के लिये 'ख' के विरुद्ध वाद या तो कलकत्ता में जहाँ वाद हेतुक पैदा हुआ या दिल्ली में जहाँ 'ख' कारोबार करता है, वाद ला सकेगा। (धारा 20)

प्रश्न 443. प्राथमिक आपत्ति से क्या तात्पर्य है?

उत्तर— प्राथमिक आपत्ति से तात्पर्य ऐसी आपत्ति जिनका विनिश्चय किये बिना न्यायालय मामले में अग्रसर नहीं हो सकता है।

प्रश्न 444. प्राथमिक आपत्ति प्रतिवादी के द्वारा कब की जानी चाहिये?

उत्तर— क्षेत्राधिकार को लेकर प्राथमिक आपत्ति जवाब दावा में या विवाद्यक स्थरीकरण से पहले की जा सकती है। (धारा 21)

प्रश्न 445. अधिकारिता के सम्बन्ध में आपत्ति किस धारा के अन्तर्गत उठाई जा सकती है?

उत्तर— धारा 21 के अन्तर्गत उठाई जा सकती है।

प्रश्न 446. अगर क्षेत्राधिकार को लेकर दो या अधिक न्यायालयों में विवाद उत्पन्न हो जाये तो ऐस वाद का क्षेत्राधिकार किसको प्राप्त होगा?

उत्तर— (1) यदि दोनों न्यायालय एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो उसी उच्च न्यायालय द्वारा।

(2) यदि दोनों न्यायालय अलग-अलग उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो उस उच्च न्यायालय में जहाँ दावा पहले संस्थित किया था। (धारा 23)

प्रश्न 447. क्या उच्चतम न्यायालय को वादों को अन्तरण करने की शक्ति प्राप्त है?

उत्तर— हाँ, धारा 25 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अन्तरण की शक्ति प्राप्त है।

प्रश्न 448. वाद की वापसी और अन्तरण करने की शक्ति किन-किन न्यायालयों को प्राप्त है?

उत्तर— उच्च न्यायालय व सेशन न्यायालयों को। (धारा 24)

प्रश्न 449. किस धारा के अन्तर्गत न्यायालय में वाद संस्थित किया जाता है ?

उत्तर— धारा 26 के अन्तर्गत कोई भी वाद, वादपत्र व्यक्तिगत रूप से या प्लीडर के द्वारा न्यायालय में दायर किया जाता है। (धारा 26 आदेश 4)

प्रश्न 450. प्रतिवादी को भेजने वाला समन किस भाषा में होना चाहिए ?

उत्तर— उस भाषा में जो राज्य द्वारा विहित की जाये। समन साधारणतया हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में भेजा जाता है। (सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 28)

प्रश्न 451. प्रतिनिधि वाद से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— एक वाद में कई व्यक्ति हितबद्ध हैं तो उनमें से एक व्यक्ति उन सब की तरफ से हितबद्ध वाद लाना चाहता है तो वह न्यायालय की इजाजत से वाद ला सकता है इसे प्रतिनिधि वाद कहते हैं। (आदेश 1 रूल 8)

प्रश्न 452. प्रतिनिधि व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है ?

उत्तर— 1. वादकारण को छोड़ नहीं सकता है। 2. बिना सहमति के वाद वापस नहीं लेगा 3. बिना सहमति के समझौता नहीं कर सकता है।

प्रश्न 453. समन क्या है ?

उत्तर— किसी व्यक्ति के नाम न्यायालय का औपचारिक आदेश जिसका उद्देश्य वह है जो समन में विहित किया गया है।

प्रश्न 454. समन कितने दिनों में जारी किया जाता है ?

उत्तर— समन दावा दायर किये जाने के दिन से 30 दिन के अन्दर न्यायालय प्रतिवादी के नाम जारी कर सकता है। (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999)

प्रश्न 455. समन का प्रारूप किस प्रकार होता है ?

उत्तर— समन लिखित न्यायालय की भाषा में, पीठासीन अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर तथा उस पर न्यायालय की मुद्रा होती है।

प्रश्न 456. समन किनके लिये जारी किया जा सकता है ?

उत्तर— समन 1. जवाबदावा पेश करने के लिये 2. दस्तावेजों के पेशकरण के लिये 3. साक्षी के रूप में हाजिर होने के लिये।

प्रश्न 457. समन की तामील अधिक से अधिक कितने दिनों के अन्दर जारी की जा सकती है ?

उत्तर— उचित कारण होने पर समन की तामील 90 दिन के अन्दर कर सकते हैं। (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999)

प्रश्न 458. क्या साक्षी को समन निकालने के पश्चात् उसमें व्यतिक्रम के लिये जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ, धारा 32ग (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999)

प्रश्न 459. 1999 के संशोधन के अन्तर्गत से व्यवहार के कौन-कौन से आधुनिक साधन सम्मिलित किये हैं ?

उत्तर— 1999 के संशोधन के अन्तर्गत— 1. स्पीडपोस्ट 2. उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त कोरियर सर्विस 3. फैक्स 4. ई-मेल।

प्रश्न 460. क्या समन की तामील दूसरे राज्य में कराई जा सकती है ?

उत्तर— हाँ, समन की तामील दूसरे राज्य में कराई जा सकती है।

प्रश्न 461. कितनी अवधि में जवाबदावा पेश किया जा सकता है ?

उत्तर— प्रतिवादी जवाबदावा समन की तामील के दिन से 30 दिन के अन्दर तथा यदि उचित कारण समय बढ़ा दिया तो समन की तामील से 90 दिन के अन्दर जवाबदावा पेश किया जा सकता है। (आदेश 8 नियम 9) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 462. मुजरा से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— प्रतिवादी, वादी के धन सम्बन्धी वाद के विरुद्ध किसी निश्चित धनराशि का समायोजन की मांग मुजरा कहलाता है।

प्रश्न 463. वैध मुजरा से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— जब मुजरा की जाने वाली राशि निश्चित होती है तो इसे वैध मुजरा कहते हैं।

प्रश्न 464. साम्यिक मुजरा से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— जब मुजरा की जाने वाली राशि निश्चित नहीं होती है तो ऐसे मुजरे को साम्यिक मुजरा कहते हैं।

प्रश्न 465. ब्याज के सम्बन्ध में 'दामदुपट' क्या नियम है ?

उत्तर— यह हिन्दू विधि द्वारा ब्याज के सम्बन्ध में बनाया गया नियम है, जिसके अनुसार ब्याज की राशि मूलधन की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

प्रश्न 466. मुजरा एवं प्रतिदावा में मुख्य अन्तर क्या है ?

उत्तर— मुजरा एक ही संव्यवहार का भाग होता है जबकि प्रतिदावा पृथक् संव्यवहार का परिणाम है।

प्रश्न 467. सिविल न्यायालय द्वारा धन सम्बन्धित वाद में ब्याज किस दर से दिलाया जा सकता है ?

उत्तर— 6 प्रतिशत वार्षिक दर से डिक्री की तारीख से सदायं की तारीख तक दिलाया जा सकता है। (धारा 34)

प्रश्न 468. क्या 6 प्रतिशत से अधिक ब्याज दिलवाया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ, जहाँ दायित्व किसी वाणिज्यिक संव्यवहार से उद्भूत हुआ है लेकिन पक्षकारों के मध्य ऐसी ब्याज दर संविदात्मक दर से ज्यादा नहीं होगी। (धारा 34)

प्रश्न 469. क्या प्रतिवादी को भेजे जाने वाले समन के साथ वाद पत्र की प्रति होना आवश्यक है ?

उ. — हाँ, प्रत्येक समन के साथ दावे की प्रति सलग्न की जावेगी। (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999)

प्रश्न 470. क्या समन की तामील वादी द्वारा कराई जा सकती है ?

उत्तर— हाँ, न्यायालय, वादी के समन तामील कराने की स्वीकृति प्रदान कर, समन वादी को सुपूर्द कर सकता है। (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 471. यदि प्रतिवादी भारत से बाहर निवास करता है तथा भारत में उसका कोई अभिकर्ता नहीं है तो क्या ऐसे प्रतिवादी को तामील कोरियर, फैक्स या ई-मेल द्वारा कराई जा सकती है ?
उत्तर— हाँ, (आदेश 5, नियम 25) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999)

प्रश्न 472. अभिवचन से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— अभिवचन से वादपत्र या लिखित कथन अभिप्रेत है। (आदेश 6)

प्रश्न 473. वादियों के रूप में कौन संयोजित किये जा सकते हैं ?

उत्तर— अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार जब किसी एक कृत्य अथवा एक संव्यवहार या विभिन्न कृत्य या संव्यवहारों से विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में संयुक्त रूप से, अलग-अलग अथवा वैकल्पिक रूप से उत्पन्न हुआ हो तो ऐसे व्यक्तियों को वादियों के रूप में संयोजित किया जा सकता है। (आदेश 1 नियम 1)

प्रश्न 474. संयोजन से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— दो या दो से अधिक व्यक्तियों को वादी या प्रतिवादी के रूप में जोड़ना पक्षकारों का संयोजन कहलाता है।

प्रश्न 475. वादी से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— जो न्यायालय में वाद दायर करता है तथा अनुतोष की मांग करता है उसे वादी कहते हैं।

प्रश्न 476. प्रतिवादी से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— वादी, जिससे अनुतोष की मांग करता है वह प्रतिवादी है।

प्रश्न 477. अतिरिक्त अभिवचन से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— अगर वादी अपने वादपत्र में मुजरा का कथन करता है तो वह अतिरिक्त अभिवचन कहलाता है।

प्रश्न 478. कुसंयोजन से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— जब कोई व्यक्ति वाद का पक्षकार नहीं होता है और उसे वाद का पक्षकार बना दिया जाता है तो उसे कुसंयोजन कहते हैं।

प्रश्न 479. असंयोजन से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— जब वाद के आवश्यक पक्षकार जिसके कारण अनुतोष उत्पन्न हुआ था को वाद का पक्षकार नहीं बनाया गया तो उसे असंयोजन कहते हैं।

प्रश्न 480. वादों की विविधता से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— जब एक से अधिक वादी, प्रतिवादी एवं वादकारण हो और वादकारणों को वादी एवं प्रतिवादी के मध्य संयुक्त कर दिया जो सुसंगत नहीं हैं तो उसे वादों की विविधता कहते हैं।

प्रश्न 481. क्या असंयोजन एवं कुसंयोजन के आधार पर वाद विफल हो जायेगा ?

उत्तर— नहीं, साधारणतया नहीं होगा लेकिन यदि आवश्यक पक्षकारों का असंयोजन है तो वाद विफल हो जायेगा।

प्रश्न 482. क्या असंयोजन एवं कुसंयोजन के कारण वाद खारिज कर दिया गया है तो क्या उस पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लगेगा ?

उत्तर— नहीं, उस पर पूर्व न्याय का सिद्धांत नहीं लगेगा।

प्रश्न 483. अभिवचन में किन तथ्यों का उल्लेख होना चाहिये ?

उत्तर— अभिवचन में तात्त्विक तथ्यों का उल्लेख होना चाहिये ताकि साक्ष्य का (आदेश 6 नियम 2)

प्रश्न 484. न्यायालय द्वारा अभिवचन (Pleading) में संशोधन की अनुमति कब दी जा सकती है?

उत्तर— जब संशोधन से दूसरे पक्षकार को हानि नहीं हो रही हो, और पक्षकारों के बीच वास्तविक रूप से विवादित प्रश्न के अवधारण के लिये वह आवश्यक है। (सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-6 नियम 17)

प्रश्न 485. क्या जिस व्यक्ति द्वारा अभिवचन किया गया है उसे अपने अभिवचन के समर्थन हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ?

उत्तर— हाँ, अभिवचनों को समर्थन हेतु शपथ-पत्र देना आवश्यक है। (आदेश 15 नियम 15[4]) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999)

प्रश्न 486. क्या वाद की कार्यवाही के दौरान अभिवचनों में संशोधन किया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ, वाद की कार्यवाही के किसी स्टेज पर न्यायालय पक्षकार के आवेदन करने पर अभिवचनों में संशोधन करने का आदेश दे सकता है। (आदेश 6 नियम 17) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 487. जब पक्षकार को संशोधन की अनुमति दी गई है तो संशोधन कितने दिन में पेश किया जाना चाहिये ?

उत्तर— 14 दिन के भीतर, या न्यायालय द्वारा अवधि बढ़ाये जाने की स्थिति में बढ़ाई गई अवधि तक अन्यथा वाद में संशोधन नहीं कर सकते हैं। (आदेश 6 नियम 18) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 488. वाद प्रस्तुत होने के बाद कितनी अवधि में प्रतिवादी पर समन की तामील हेतु अपेक्षित शुल्क जमा कराया जायेगा ?

उत्तर— वादी न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के 7 दिन में प्रतिवादीगण पर समन तामील हेतु अपेक्षित शुल्क का भुगतान करेगा। (आदेश 17 नियम 9) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 489. क्या न्यायालय वाद को वापिस लौटा सकता है ?

उत्तर— हाँ, आदेश 7, नियम 10 के प्रावधानों के अन्तर्गत वाद को वापिस लौटाया जा सकता है।

प्रश्न 490. क्या न्यायालय द्वारा वाद को नामजूर किया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ, आदेश 7, नियम 11 के अन्तर्गत इस आधार पर वाद खारिज किया जा सकता है। (आदेश 7 नियम 11) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 491. क्या आदेश 7, नियम 9 के अन्तर्गत प्रतिवादी पर समन की तामील हेतु अपेक्षित शुल्क का भुगतान वादी द्वारा नहीं किया जाने पर क्या वाद खारिज किया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ, आदेश 7, नियम 9 के अन्तर्गत वाद खारिज किया जा सकता है। (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 492. वे दस्तावेज जो न्यायालय में पेश किये जाने हों पेश नहीं किये गये तो उन्हें साक्ष्य में लिया जा सकता है ?

उत्तर— नहीं, साक्ष्य न्यायालय में नहीं लिये जा सकते हैं लेकिन यदि न्यायालय वाद की

प्रश्न 483. अभिवचन में किन तथ्यों का उल्लेख होना चाहिये ?

उत्तर— अभिवचन में तात्त्विक तथ्यों का उल्लेख होना चाहिये ताकि साक्ष्य का (आदेश 6 नियम 2)

प्रश्न 484. न्यायालय द्वारा अभिवचन (Pleading) में संशोधन की अनुमति कब दी जा सकती है?

उत्तर— जब संशोधन से दूसरे पक्षकार को हानि नहीं हो रही हो, और पक्षकारों के बीच वास्तविक रूप से विवादित प्रश्न के अवधारण के लिये वह आवश्यक है। (सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-6 नियम 17)

प्रश्न 485. क्या जिस व्यक्ति द्वारा अभिवचन किया गया है उसे अपने अभिवचन के समर्थन हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ?

उत्तर— हाँ, अभिवचनों को समर्थन हेतु शपथ-पत्र देना आवश्यक है। (आदेश 15 नियम 15[4]) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999)

प्रश्न 486. क्या वाद की कार्यवाही के दौरान अभिवचनों में संशोधन किया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ, वाद की कार्यवाही के किसी स्टेज पर न्यायालय पक्षकार के आवेदन करने पर अभिवचनों में संशोधन करने का आदेश दे सकता है। (आदेश 6 नियम 17) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 487. जब पक्षकार को संशोधन की अनुमति दी गई है तो संशोधन कितने दिन में पेश किया जाना चाहिये ?

उत्तर— 14 दिन के भीतर, या न्यायालय द्वारा अवधि बढ़ाये जाने की स्थिति में बढ़ाई गई अवधि तक अन्यथा वाद में संशोधन नहीं कर सकते हैं। (आदेश 6 नियम 18) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 488. वाद प्रस्तुत होने के बाद कितनी अवधि में प्रतिवादी पर समन की तामील हेतु अपेक्षित शुल्क जमा कराया जायेगा ?

उत्तर— वादी न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के 7 दिन में प्रतिवादीगण पर समन तामील हेतु अपेक्षित शुल्क का भुगतान करेगा। (आदेश 17 नियम 9) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 489. क्या न्यायालय वाद को वापिस लौटा सकता है ?

उत्तर— हाँ, आदेश 7, नियम 10 के प्रावधानों के अन्तर्गत वाद को वापिस लौटाया जा सकता है।

प्रश्न 490. क्या न्यायालय द्वारा वाद को नामजूर किया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ, आदेश 7, नियम 11 के अन्तर्गत इस आधार पर वाद खारिज किया जा सकता है। (आदेश 7 नियम 11) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 491. क्या आदेश 7, नियम 9 के अन्तर्गत प्रतिवादी पर समन की तामील हेतु अपेक्षित शुल्क का भुगतान वादी द्वारा नहीं किया जाने पर क्या वाद खारिज किया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ, आदेश 7, नियम 9 के अन्तर्गत वाद खारिज किया जा सकता है। (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 492. वे दस्तावेज जो न्यायालय में पेश किये जाने हों पेश नहीं किये गये तो उन्हें साक्ष्य में लिया जा सकता है ?

उत्तर— नहीं, साक्ष्य न्यायालय में नहीं लिये जा सकते हैं लेकिन यदि न्यायालय वाद की

सुनवाई के समय इजाजत दे दे तो ऐसे दस्तावेज साक्ष्य में लिये जा सकते हैं। (आदेश 7 नियम 14[3])
(सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 493. पश्चात्पूर्ती अभिवचनों को कितने समय में पेश किया जाता है ?

उत्तर— 30 दिनों के अन्दर। (आदेश 8 नियम 9) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 494. क्या समन की तामील का खर्चा देने में वादी असफल रहता है तो क्या वाद खारिज किया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ, खारिज किया जा सकता है। (आदेश 9 नियम 2) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 495. यदि वाद के दोनों पक्षकार अनुपस्थित होते हैं तो वाद पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर— वाद खारिज कर दिया जायेगा। (आदेश 9 नियम 3)

प्रश्न 496. समन की तामील नहीं हुई जिसके कारण प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ इस आधार पर क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर— वाद खारिज कर दिया जायेगा। (आदेश 9 नियम 2)

प्रश्न 497. समन तामील के बिना लौटने पर अगर वादी 7 दिन के अन्दर नये समन के लिये आवेदन नहीं करता है तो क्या वाद खारिज किया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ, वाद खारिज किया जा सकता है। (आदेश 9 नियम 5) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 498. जब वाद की कार्यवाही के दौरान वादी उपस्थित हो तो लेकिन प्रतिवादी नहीं जबकि समन की तामील उचित रूप से की गई थी तो ऐसी स्थिति में वाद की कार्यवाही पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर— न्यायालय ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर सकता है। (आदेश 9 नियम 6)

प्रश्न 499. क्या एक पक्षीय डिक्री को अपास्त कराया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ, प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री को अपास्त कराया जा सकता है। (आदेश 9 नियम 13)

प्रश्न 500. क्या कोई भी डिक्री विरोधी पक्षकार की सूचना के बिना अपास्त की जा सकती है ?

उत्तर— नहीं, कोई भी डिक्री विरोधी पक्षकार की सूचना के बिना अपास्त नहीं कराई जा सकती है। (आदेश 9 नियम 14)

प्रश्न 501. तथ्यों का प्रकटीकरण कैसे किया जा सकता है ?

उत्तर— दो तरीकों से किया जा सकता है—

(1) प्रश्नमालाओं द्वारा (2) दस्तावेजों के पेशकरण द्वारा।

प्रश्न 502. परिप्रश्नों का उत्तर किस प्रकार व कितने समय में दिया जायेगा ?

उत्तर— परिप्रश्नों का उत्तर शपथ-पत्र व 10 दिन के अन्दर दिया जायेगा।

प्रश्न 503. क्या दस्तावेजों के प्रकटीकरण के लिये आवेदन किया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ, आदेश 11, नियम 2 के अन्तर्गत आवेदन किया जा सकता है।

प्रश्न 504. वादी द्वारा वाद-पत्र कितनी प्रतियों में भेजना चाहिये ?

उत्तर— दो प्रतियों में भेजना चाहिये अन्यथा इस आधार पर वाद खारिज किया जा सकता है।
(आदेश 11 नियम 11[5]) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 505. क्या परिप्रश्नों के उत्तरों का विचारण में उपयोग किया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ, (आदेश 11, नियम 22)

प्रश्न 506. क्या आदेश 11 के प्रावधान अवयस्क पर भी लागू होते हैं ?

उत्तर— हाँ, आदेश 11, नियम 23 अवयस्क, वादियों और प्रतिवादियों को और नियोग्ताधीन व्यक्तियों के वाद मित्रों और वादार्थ संरक्षकों पर लागू होता है।

प्रश्न 507. स्वीकृति से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— यदि एक पक्ष किसी बात का अभिकथन करे तथा यदि दूसरा प्रतिपक्षी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाये तो तथ्य की ऐसी स्वीकृति को स्वीकृति कहा जाता है। (आदेश 12)

प्रश्न 508. स्वीकृति कैसे की जा सकती है ?

उत्तर— स्वीकृति सामान्यतः मौखिक होती है लेकिन साक्ष्य में तभी ग्रहण किया जायेगा जब शपथ पत्र पर स्वीकृति होगी।

प्रश्न 509. स्वीकृति किस प्रकार की जा सकती है ?

उत्तर— 1. पक्षकार एक दूसरे को सूचना देकर 2. अभिवचन द्वारा 3. प्रश्नमालाओं के उत्तर द्वारा 4. शपथपत्र द्वारा 5. दस्तावेजों को स्वीकार कर।

प्रश्न 510. मूल दस्तावेज कब तक पेश किया जा सकते हैं ?

उत्तर— दस्तावेजी साक्ष्य विवादकों के स्थिरीकरण के समय या इसके पूर्व पक्षकार या प्लीडर पेश किया जा सकता है। (आदेश 13, नियम 1) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999)

प्रश्न 511. दस्तावेज के पेश नहीं करने पर वाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उत्तर— दस्तावेज विवादकों के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व पेश नहीं करने पर वाद में इन दस्तावेजों को अपने बचाव के लिये पेश नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न 512. साक्ष्य में ग्रहीत दस्तावेजों पर पृष्ठांकन किस आदेश के अन्तर्गत किया जाता है ?

उत्तर— आदेश 13, नियम 4 के अन्तर्गत किया जाता है।

प्रश्न 513. विवादक तथ्यों से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— ऐसे सारपूर्ण तथ्य या विधि जिन पर वादी का वाद और प्रतिवादी का बचाव आधारित है इन्हें विवादक तथ्य कहते हैं। (आदेश 14 नियम 1)

प्रश्न 514. विवादक कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर— विवादक दो प्रकार के होते हैं—1. तथ्य विवादक 2. विधि विवादक। (आदेश 14, नियम 1)

प्रश्न 515. क्या विवादकों के स्थिरीकरण में संशोधन किया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ, आदेश 14, नियम 5 (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 516. क्या विवादकों का स्थिरीकरण आवश्यक है ?

उत्तर— नहीं, यदि वाद की प्रथम सुनवाई में ही निर्णय दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में विवादकों का स्थिरीकरण आवश्यक नहीं है।

प्रश्न 517. क्या साक्षी की उपस्थिति के लिये न्यायालय के द्वारा समन जारी किया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ, लेकिन पक्षकार स्वयं भी साक्षी को समन के बिना न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। (आदेश 16)

प्रश्न 518. जहाँ साक्षी समन की अनुपालना करने में असफल रहता है वहाँ सिविल प्रक्रिया संहिता में क्या प्रावधान है ?

उत्तर— ऐसी परिस्थिति में उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट प्रतिभूति सहित या रहित जारी कर सकता है। (आदेश 16, नियम 10)

प्रश्न 519. क्या साक्षी नुकसानी के खर्चे पाने का हक रखता है ?

उत्तर— नहीं। (आदेश 16)

प्रश्न 520. क्या कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध साक्षियों को न्यायालय में पेश किया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ, कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध साक्षियों को न्यायालय में पेश किया जा सकता है। (आदेश 16 क, नियम 1)

प्रश्न 521. न्यायालय वाद की कार्यवाही की अगली तारीख के लिये स्थगन किस प्रावधान के अन्तर्गत किया जाता है ?

उत्तर— आदेश 17, नियम 1 के तहत स्थगन के आधार पर न्यायालय कार्यवाही को अगली तारीख के लिये स्थगित कर सकता है।

प्रश्न 522. आदेश 17, नियम 1 के तहत स्थगन कितनी बार मजूर किया जा सकता है ?

उत्तर— स्थगन वाद की कार्यवाही के दौरान अधिकतम तीन बार किया जा सकता है। (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999)

प्रश्न 523. क्या न्यायालय स्थगन के खर्चे हेतु आदेश कर सकता है ?

उत्तर— हाँ, न्यायालय स्थगन के खर्चे हेतु आदेश कर सकता है। (आदेश 17, नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम, 1999)

प्रश्न 524. क्या कोई प्लीडर इस आधार पर वाद की कार्यवाही का स्थगन करवा सकता है कि वह किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त है ?

उत्तर— नहीं। (आदेश 17, नियम 2 का परन्तु का खण्ड ग (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999))

प्रश्न 525. क्या कोई पक्षकार वाद में मौखिक तर्क प्रस्तुत कर सकता है ?

उत्तर— हाँ, आदेश 18, नियम 2 के उपनियम (3क), 3(ख), 3(ग), 3(घ) के अन्तर्गत पक्षकार वाद में मौखिक एवं लिखित तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रश्न 526. क्या साक्षी का बयान अभिलिखित करने का निर्देश दे सकता है ?

उत्तर— हाँ, न्यायालय साक्षियों को खुले न्यायालय में परीक्षण करने के बजाय आदेश 26, नियम

4क के अन्तर्गत कमीशन पर कथन अभिलिखित करने का निर्देश दे सकता है। (आदेश 18, नियम 19) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999)

प्रश्न 527. न्यायालय वाद की सुनवाई के पश्चात् निर्णय कब और कहाँ सुनायेगा?

उत्तर— न्यायालय की सुनवाई के पश्चात् निर्णय खुले न्यायालय में तुरन्त या तत्पश्चात् यथाशीघ्र सुनाया जायेगा। (आदेश 20, नियम 1, उपनियम (1) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 528. निर्णय के बाद डिक्री कितने समय में तैयार हो जानी चाहिये ?

उत्तर— वाद में निर्णय सुनाने के 15 दिन के भीतर डिक्री अविलम्ब और यथासम्भव तैयार की जानी चाहिये। (आदेश 20, नियम 6क) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999)

प्रश्न 529. निर्णय से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— न्यायाधीश का ऐसा कथन जो वाद की अन्तिम सुनवाई के बाद खुले न्यायालय में सुनाया जाता है जो डिक्री या आदेश का आधार होता है। (धारा 33, आदेश 20)

प्रश्न 530. निर्णय की अन्तर्वस्तु स्पष्ट करो ?

उत्तर— निर्णय में न्यायिक कथन जिसमें विवादग्रस्त बिन्दु और उनके विनिश्चय व उनके कारण अभिलिखित होते हैं।

प्रश्न 531. लघुवाद न्यायालयों के निर्णय से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— लघुवाद न्यायालयों के निर्णयों में अवधार्य प्रश्नों और उनके विनिश्चय से अधिक और कुछ अन्तर्विष्ट होना आवश्यक नहीं है। (आदेश 20, नियम 14)

प्रश्न 532. मूल डिक्री से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— जब कोई डिक्री न्यायालय के द्वारा अपने मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में जारी की जाती है उसे मूल डिक्री कहते हैं।

प्रश्न 533. क्या डिक्री का निष्पादन अपीलीय न्यायालय के द्वारा कराया जा सकता है?

उत्तर— नहीं, अपीलीय न्यायालय के द्वारा डिक्री का निष्पादन नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न 534. डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही करने के लिये आवेदन करने की मर्यादा की अवधि कितनी होती है।

उत्तर— 12 साल।

प्रश्न 535. किस न्यायालय में डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर— उसी न्यायालय द्वारा डिक्री का निष्पादन किया जायेगा जिस न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई है। (आदेश 21, नियम 10)

प्रश्न 536. क्या किसी अपील में उच्च न्यायालय ने डिक्री दी है तो क्या वह डिक्री उच्च न्यायालय द्वारा दी गई है, मानी जायेगी ?

उत्तर— नहीं, यह माना जायेगा कि डिक्री मूल क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा जारी की गई है।

4क के अन्तर्गत कमीशन पर कथन अभिलिखित करने का निर्देश दे सकता है। (आदेश 18, नियम 19) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999)

प्रश्न 527. न्यायालय वाद की सुनवाई के पश्चात् निर्णय कब और कहाँ सुनायेगा?

उत्तर— न्यायालय की सुनवाई के पश्चात् निर्णय खुले न्यायालय में तुरन्त या तत्पश्चात् यथाशीघ्र सुनाया जायेगा। (आदेश 20, नियम 1, उपनियम (1) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 528. निर्णय के बाद डिक्री कितने समय में तैयार हो जानी चाहिये ?

उत्तर— वाद में निर्णय सुनाने के 15 दिन के भीतर डिक्री अविलम्ब और यथासम्भव तैयार की जानी चाहिये। (आदेश 20, नियम 6क) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999)

प्रश्न 529. निर्णय से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— न्यायाधीश का ऐसा कथन जो वाद की अन्तिम सुनवाई के बाद खुले न्यायालय में सुनाया जाता है जो डिक्री या आदेश का आधार होता है। (धारा 33, आदेश 20)

प्रश्न 530. निर्णय की अन्तर्वस्तु स्पष्ट करो ?

उत्तर— निर्णय में न्यायिक कथन जिसमें विवादग्रस्त बिन्दु और उनके विनिश्चय व उनके कारण अभिलिखित होते हैं।

प्रश्न 531. लघुवाद न्यायालयों के निर्णय से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— लघुवाद न्यायालयों के निर्णयों में अवधार्य प्रश्नों और उनके विनिश्चय से अधिक और कुछ अन्तर्विष्ट होना आवश्यक नहीं है। (आदेश 20, नियम 14)

प्रश्न 532. मूल डिक्री से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— जब कोई डिक्री न्यायालय के द्वारा अपने मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में जारी की जाती है उसे मूल डिक्री कहते हैं।

प्रश्न 533. क्या डिक्री का निष्पादन अपीलीय न्यायालय के द्वारा कराया जा सकता है?

उत्तर— नहीं, अपीलीय न्यायालय के द्वारा डिक्री का निष्पादन नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न 534. डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही करने के लिये आवेदन करने की मर्यादा की अवधि कितनी होती है।

उत्तर— 12 साल।

प्रश्न 535. किस न्यायालय में डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर— उसी न्यायालय द्वारा डिक्री का निष्पादन किया जायेगा जिस न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई है। (आदेश 21, नियम 10)

प्रश्न 536. क्या किसी अपील में उच्च न्यायालय ने डिक्री दी है तो क्या वह डिक्री उच्च न्यायालय द्वारा दी गई है, मानी जायेगी ?

उत्तर— नहीं, यह माना जायेगा कि डिक्री मूल क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा जारी की गई है।

प्रश्न 537. निर्णित ऋणी को धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन के लिये सिविल कारागार में भेजा जा सकता है ?

उत्तर— हाँ, भेजा जा सकता है। (आदेश 21, नियम 30)

प्रश्न 538. वाद के उपशमन से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर— किसी पक्षकार की मृत्यु होने पर वाद लाने का अधिकार नहीं रहता है तब वह वाद का उपशमन कहलाता है। (सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 22 नियम 1)

प्रश्न 539. निर्णित ऋणी को कारागार में रखे जाने की अधिकतम अवधि क्या है ?

उत्तर— 5000 से ज्यादा—तीन मास, 2000—5000—6 सप्ताह, 2000 तक में दीवानी निरुद्ध नहीं है। (धारा 58)

प्रश्न 540. कौनसा न्यायालय सम्पत्ति को कुर्क कर सकता है ?

उत्तर— निर्णित ऋणी की सम्पत्ति जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है वह कुर्क कर सकता है।

प्रश्न 541. आज्ञापत्र/आदेशिका से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— आदेशिका डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा दूसरे न्यायालय को दिया गया ऐसा आदेश है जिसके द्वारा डिक्री के निष्पादन के आदेश से सम्पत्ति को कुर्क किया जाता है। (धारा 46)

प्रश्न 542. आज्ञापत्र का क्या उद्देश्य है ?

उत्तर— डिक्री के निष्पादन होने से पहले डिक्री को निष्फल होने से रोकने के लिये यह आदेशिका जारी की जाती है।

प्रश्न 543. आज्ञापत्र द्वारा कराई गई सम्पत्ति को कितने समय तक कुर्क किया जा सकता है ?

उत्तर— ऐसी कुर्की की अवधि दो मास होगी। ऐसी अवधि को आज्ञापत्र को जारी करने वाले न्यायालय द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

प्रश्न 544. आदेश 21, नियम 92 के उपनियम (2) के अन्तर्गत क्या संशोधन किया गया है ?

उत्तर— 30 दिन के स्थान पर 60 दिन किया गया है। (आदेश 21, नियम 92 के उपनियम (2) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 545. क्या धारा 64 सिविल प्रक्रिया संहिता निजी अन्तरण या परिदान या उसके किसी हित से जुड़ी सम्पत्ति जो इस धारा के प्रभावी होने से पूर्व पंजीबद्ध संविदा के अन्तर्गत अन्तरण की गई है पर लागू होगी या नहीं ?

उत्तर— नहीं, लागू नहीं होगी। (धारा 64(2) (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002)

प्रश्न 546. सरकार या उसके विरुद्ध वाद के अन्तर्गत वादी या प्रतिवादी के रूप में किसके नाम से वाद होगा ?

उत्तर— केन्द्रीय सरकार हो तो भारत संघ, यदि राज्य हो तो राज्य का नाम। (धारा 79)

प्रश्न 547. यदि किसी वाद में राज्य सरकार को पक्ष बनाया जाता है तो क्या उसके विरुद्ध वाद दायर करने से पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है ?

उत्तर— हाँ, 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। (धारा 80(2))

प्रश्न 548. गारनेशि आदेश से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— न्यायालय द्वारा निर्णित ऋणी के ऋणी को अपने ऋण का भुगतान निर्णित ऋणी के विरुद्ध पारित डिक्री की सन्तुष्टि के लिये न्यायालय में जमा कराने के लिये दिया जाता है जिससे उसका ऋण पूर्ण हो जाता है।

प्रश्न 549. एक न्यायालय द्वारा दूसरे न्यायालय को डिक्री निष्पादन के लिये भेजी जाती है तो क्या दूसरा न्यायालय डिक्री की अन्तर्वस्तु में संशोधन, परिवर्तन कर सकता है?

उत्तर— नहीं।

प्रश्न 550. क्या निर्णित ऋणी स्वयं सम्पत्ति खरीद सकता है ?

उत्तर— नहीं।

प्रश्न 551. क्या लघुवाद न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील हो सकती है ?

उत्तर— सामान्यतः नहीं होती है लेकिन यदि वाद में विधि का प्रश्न अन्तर्निहित है तो ऐसे वादों की अपील हो सकती है। (धारा 96(4) सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999)

प्रश्न 552. कमीशन से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— किसी व्यक्ति के पक्ष में न्यायालय के द्वारा प्रत्यायोजिता कि वह न्यायालय की ओर से कार्य करे। (आदेश 26)

प्रश्न 553. भरण-पोषण की डिक्री के निष्पादन में वेतन की कुर्की की क्या सीमा है?

उत्तर— भरण-पोषण की डिक्री के निष्पादन में वेतन का एक-तिहाई तक कुर्क किया जा सकता है (धारा 60[2])

प्रश्न 554. क्या सरकारी पेंशन भोगियों को दी जाने वाली ग्रेच्युटी डिक्री के निष्पादन में कुर्क की जा सकती है ?

उत्तर— नहीं, धारा 60(1) के अन्तर्गत ऐसी ग्रेच्युटी की राशि कुर्क नहीं की जा सकती है।

प्रश्न 555. किसी डिक्री के निष्पादन में किसी स्त्री का मंगलसूत्र कुर्क किया जा सकता है ?

उत्तर— नहीं, क्योंकि यह ऐसा निजी आभूषण है जिसे स्त्री धार्मिक प्रथानुसार अपने से अलग नहीं कर सकती है। (धारा 60[1][झक])

प्रश्न 556. कमीशन कब जारी किया जाता है ?

उत्तर— किसी व्यक्ति की परीक्षा, स्थानीय अनुसंधान, लेखाओं की परीक्षा, विभाजन, कोई वैज्ञानिक, तकनीकी या विशेष अनुसंधान, शीघ्र एवं प्रकृत्या क्षयशील सम्पत्ति का विक्रय और कोई अनुसचिवीय कार्य करने हेतु। (सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 75)

प्रश्न 557. वाद का उपशमन से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— वादी की वाद के दौरान मृत्यु हो जाने पर निर्धारित अवधि के अन्दर अगर उसके विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख पर नहीं लिया जाता है तो वाद का उपशमन हो जाता है। (आदेश 22)

प्रश्न 558. क्या वाद के उपशमन हो जाने पर उसी वाद हेतुक पर नया वाद लाया जा सकता है?

उत्तर— नहीं, उस वाद हेतुक नया वाद नहीं लाया जा सकता है लेकिन उपशमन के आदेश को अपारत करने के लिये आवेदन किया जा सकता है। (आदेश 22, नियम 9)

प्रश्न 559. विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेने के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि क्या है ?
उत्तर— 90 दिन (परीसीमा अधिनियम)

प्रश्न 560. उपशमन को निरस्त कराने के लिये कितनी अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है ?
उत्तर— 60 दिन की अवधि के अन्दर ऐसा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रश्न 561. यदि वादी स्वयं अपना वाद वापिस लेता है तो क्या उस वाद हेतुक दुबारा वाद दायर कर सकता है ?
उत्तर— नहीं, वह उसी वादकारण हेतु दुबारा वाद दायर नहीं कर सकता है। (आदेश 23)

प्रश्न 562. क्या आपसी समझौते से प्राप्त की गई डिक्री की अपील हो सकती है ?
उत्तर— नहीं, आपसी समझौते से प्राप्त की गई डिक्री की अपील नहीं हो सकती है। (आदेश 23)

प्रश्न 563. क्या न्यायालय हाजिरी से छूट बीमारी या अंगशैथिल्य के अलावा भी अन्य किसी साक्षी के लिये कमीशन जारी किया जा सकता है ?
उत्तर— हाँ, न्याय के हित या मामले के शीघ्र निपटारे के लिये या किसी अन्य कारण से भी साक्षी के लिये समन जारी किया जा सकता है। (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999)

प्रश्न 564. द्वितीय अपील सुनने की अधिकारिता किस न्यायालय को प्राप्त है ?
उत्तर— उच्च न्यायालय को। (धारा 100)

प्रश्न 565. क्या एक तरफा पारित मूल डिक्री के विरुद्ध अपील हो सकती है ?
उत्तर— धारा 96(2) के अनुसार एकतरफा पारित मूल डिक्री की अपील हो सकती है।

प्रश्न 566. द्वितीय अपील दायर करने का आवश्यक आधार क्या है ?
उत्तर— वाद के विधि का सारवान प्रश्न अर्न्तग्रस्त हो तब द्वितीय अपील की जा सकती है। (धारा 100)

प्रश्न 567. दीवानी मुकदमों की निगरानियां सुनने का अधिकार किस न्यायालय को प्राप्त है ?
उत्तर— उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। (धारा 115)

प्रश्न 568. जब कोई व्यक्ति किसी दीवानी वाद में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है ?
उत्तर— उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामले में सार्वजनिक महत्त्व का सारवान विधि प्रश्न अर्न्तग्रस्त है जिसका विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा आवश्यक है। (धारा 109)

प्रश्न 569. कब, किसी न्यायाधीश को सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है ?
उत्तर— जब न्यायाधीश न्यायालय को जा रहा हो या उसमें पीठासीन हो या वहाँ से आ रहा हो। (धारा 135)

प्रश्न 570. कोवियट किसे कहते हैं ?
उत्तर— न्यायालय को यह नोटिस देना कि कोवियट दायर करने वाले व्यक्ति को सूचना दिये बिना आगे कार्यवाही न ही जाये। (धारा 148क)

प्रश्न 571. अर्न्तनिहित शक्तियों का प्रयोग न्यायालय द्वारा कब किया जायेगा ?

उत्तर— न्याय के उद्देश्यों या न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिये किया जा सकता है। (धारा 151)

प्रश्न 572. वादमित्र से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— अवयस्क के नाम से वाद दायर करने वाला व्यक्ति वादमित्र कहलाता है। (आदेश 32, नियम 1)

प्रश्न 573. वादार्थ संरक्षक से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— प्रतिवादी के अवयस्क होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा अवयस्क के लिये नियुक्त व्यक्ति वादार्थ संरक्षक कहलाता है। (आदेश 32, नियम 3)

प्रश्न 574. निर्धन व्यक्ति से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— जो कोर्ट फीस देने में असमर्थ है और जिसके पास 1 हजार से ज्यादा की सम्पत्ति नहीं हो। (आदेश 33, नियम 1)

प्रश्न 575. निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद लाने के लिये निर्धन व्यक्ति कौन होता है ?

उत्तर— ऐसा पक्षकार जिसके पास वादग्रस्त सम्पत्ति अथवा डिब्री के निष्पादन से कुर्की से छूट प्राप्त सम्पत्ति के अलावा न्याय शुल्क जमा करने का साधन अथवा एक हजार रुपये की सम्पत्ति नहीं हो। (सी.पी.सी. के आदेश 33 नियम 1)

प्रश्न 576. क्या अपीलों के ज्ञापन पंजीयन के लिये अपील का रजिस्टर रखा जाना आवश्यक है ?

उत्तर— हाँ। (आदेश 41, नियम 9 के प्रावधानों अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999)

प्रश्न 577. अपील न्यायालय द्वारा अपीलार्थी से खर्चों के प्रतिभूति देने के लिये आदेश दे सकता है ?

उत्तर— हाँ, (आदेश 41, नियम 10) के अन्तर्गत दे सकता है।

प्रश्न 578. क्या अंकिचन वाद खारिज होना डिब्री ?

उत्तर— अंकिचन वाद प्रार्थना पत्र पर दाखिल होता है अतः प्रार्थना पत्र खारिज करना डिब्री नहीं है।

प्रश्न 579. क्या अंकिचन वाद की अपील हो सकती है ?

उत्तर— हाँ, अपील हो सकती है।

प्रश्न 580. क्या लोक न्यूसेन्स को रोकने के लिये दीवानी दावा दायर किया जा सकता है ?

उत्तर— हाँ, धारा 91 के अन्तर्गत दावा दायर किया जा सकता है।

प्रश्न 581. न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— वाद की सुनवाई करने व उसका विनिश्चय करने की न्यायालय की शक्ति को न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहते हैं।

प्रश्न 582. अस्थायी व्यादेश से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— वाद के दौरान न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश जिसमें किसी पक्षकार को कुछ करने अथवा नहीं करने का आदेश दिया जाता है। (आदेश 39)

प्रश्न 583. किसी दीवानी न्यायालय द्वारा जारी किये गये व्यादेश की अवहेलना के क्या परिणाम होते हैं ?

उत्तर— दोषी व्यक्ति की सम्पत्ति कुर्क या उसे तीन माह तक की अवधि के लिये सिविल जेल में निरुद्ध का आदेश दिया जा सकता है। (आदेश 39, नियम 2)

प्रश्न 584. क्या व्यादेश का आदेश (आदेश 39, नियम 1, 2) अपील योग्य है ?

उत्तर— हाँ, ऐसा आदेश अपील योग्य है।

प्रश्न 585. अस्थायी व्यादेश का पालन नहीं करने के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख कीजिए ?

उत्तर— दोषी व्यक्ति की सम्पत्ति को कुर्क किया जा सकता है या उसे तीन माह तक का सिविल कारावास दिया जा सकता है। (सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 39 नियम 2क)

प्रश्न 586. रिसिवर से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— ऐसा निरपेक्ष व्यक्ति जिसे न्यायालय वाद लम्बन के दौरान सम्पत्ति प्राप्त करने या आरक्षित रखने के लिये नियुक्त किया जाता है। (आदेश 40)

प्रश्न 587. निर्देश सम्बन्धी प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में स्पष्ट किया है ?

उत्तर— धारा 114, (आदेश 46)

प्रश्न 588. पुनर्विलोकन सम्बन्धी प्रावधान किस धारा में दिये गये हैं ?

उत्तर— धारा 114, (आदेश 47)

प्रश्न 589. पुनरीक्षण सम्बन्धी प्रावधान किस धारा में दिये गये हैं ?

उत्तर— धारा 115

प्रश्न 590. न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति किस न्यायालय को प्राप्त है ?

उत्तर— उच्च न्यायालय को प्राप्त है।

प्रश्न 591. निर्देश से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय को वाद की विधि की वैधानिकता के विनिश्चय के लिये भेजना निर्देश कहलाता है।

प्रश्न 592. पुनर्विलोकन से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— निर्णय या आदेश देने वाले न्यायालय द्वारा उस मामले पर पुनः विचार किया जाना पुनर्विलोकन है।

प्रश्न 593. क्या कोई सिविल न्यायालय अपने द्वारा दिये गये किसी निर्णय या आदेश में कोई संशोधन कर सकता है ?

उत्तर— लेखन या गणित सम्बन्धी या आकस्मिक भूल या लोप से हुई गलतियों को संशोधित किया जा सकता है। (धारा 152)

प्रश्न 594. डिक्री के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट करो ?

उत्तर— डिक्री के आवश्यक तत्व धारा 2(2) के अनुसार—

1. यह निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है।
2. ऐसा न्याय निर्णय किसी वाद में दिया गया हो।
3. यह विवादग्रस्त विषयों में से किसी एक या सभी के सम्बन्ध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करती है।

4. ऐसा निर्धारण अन्तिम होना चाहिये। डिक्री में वादपत्र की अस्वीकृति व धारा 144 के अन्तर्गत प्रश्न का निर्धारण शामिल है परन्तु इसमें ऐसा न्याय निर्णयन जिसकी अपील आदेश की तरह होती है तथा चूक के लिये बर्खास्तगी का आदेश शामिल नहीं है।

प्रश्न 595. न्यायिक निर्णय एवं निर्णय से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— न्यायिक निर्णय—दोनों पक्षकार किसी विवादित बिन्दु पर विवादित है तो पक्षकारों को सुनकर न्यायालय निर्णय देता है इसे न्यायिक निर्णय कहते हैं।

निर्णय: न्यायाधीश के कथन जो डिक्री का आदेश का आधार बनते हैं। उन्हें निर्णय कहते हैं।

प्रश्न 596. प्राङ्गन्याय (पूर्व न्याय) क्या है ? समझाइये।

उत्तर— सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में दिया गया पूर्व-न्याय अथवा प्राङ्गन्याय का नियम इस प्रकार है—

पूर्व-न्याय— कोई भी न्यायालय ऐसे किसी वाद या विवादक का परीक्षण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवादास्पद विषय उन्हीं पक्षकारों के मध्य में या उन पक्षकारों के मध्य में, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन या उनमें से कोई उसी एक ही हक के माध्यम से याद करते हुये दावा करते हैं, किसी न्यायालय में, जो ऐसे पश्चात्पूर्व वाद का, ऐसे वाद का, जिसमें ऐसा विवादक वाद में उठाया गया हो और उस न्यायालय द्वारा सुना गया हो, तथा अन्तिम रूप से विनिश्चित किया गया हो, पूर्ववर्ती वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवादक हो।

प्रश्न 597. प्राङ्गन्याय के आवश्यक तत्व या शर्तें क्या हैं ? बताइये।

उत्तर— प्राङ्गन्याय के आवश्यक तत्व या शर्तें— प्राङ्गन्याय का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है—

- (1) दो मुकदमों में विषय प्रत्यक्षतः और सारतः विवादक (in issue) हों;
- (2) पहला मुकदमा उन्हीं पक्षकारों के बीच या उन्हीं व्यक्तियों के बीच, जो उन पक्षकारों के अधीन हक का दावा करते हैं, चल रहा हो,
- (3) ऐसे पक्षकारों ने पहले मुकदमे में एक ही हक के अधीन मुकदमा किया हो,
- (4) जिस अदालत ने पहले मुकदमा का निपटारा किया था, वह बाद वाले मुकदमे का परीक्षण करने के लिए भी जिसमें कि विवादक बाद में उठाया जाता है, साक्ष्य नहीं हो; और
- (5) बाद वाले मुकदमे में प्रत्यक्षतः और सारतः प्रश्न पहले मुकदमे में सुना गया हो और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया गया हो।

प्रश्न 598. विचाराधीन वाद (रेस-सब-जूडिस) का संक्षिप्त वर्णन कीजिये।

उत्तर— विचाराधीन मामला (Res-Subjudice)— सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में मुकदमों को स्थगित करने के सम्बन्ध में नियम दिये गये हैं, जहाँ कि चीजें विचाराधीन हैं या अदालत के फैसले

के लिये लम्बित है। धारा 10 के अनुसार कोई न्यायालय किसी ऐसे वाद का परीक्षण नहीं करेगा, जिसमें वही विवाद विषय उन्हीं पक्षकारों के बीच या उन पक्षकारों के बीच, जिनके आश्रित रहकर वे या उनमें से कोई पक्षकार उसी हक के अधीन रहकर वाद करते हुए दावा करते हैं, किसी पूर्वतन संस्थित वाद या पहले से दायर किये गये किसी वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद हों, जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत के किसी दूसरे न्यायालय में, जिसको अनुतोष प्रदान करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, या भारत की सीमाओं से परे किसी न्यायालय में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या प्रवर्तित है और जिसे समान क्षेत्राधिकार प्राप्त है या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित है।

स्पष्टीकरण—किसी विदेशी न्यायालय में किसी वाद का लम्बित रहना भारत में के न्यायालयों को उसी वाद—हेतुक अथवा वाद—कारण का परीक्षण करने से नहीं रोकता है।

प्रश्न 599. निर्णय की अर्तवस्तु को स्पष्ट करो ?

उत्तर— प्रत्येक निर्णय में निम्न 4 आवश्यक तत्त्व होते हैं—

1. तथ्यों का संक्षिप्तीकरण
2. विवादक
3. विवादक पर निर्णय
4. निर्णय के आधार

प्रश्न 600. कौन से आदेश हैं जो डिक्री कहलाते हैं ?

उत्तर— (1) वादपत्र की अस्वीकृति का आदेश।

(2) कोर्ट फीस ना चुकाने पर वाद खारिज करने का आदेश।

(3) पर्याप्त मुद्रांक पर वाद पत्र दायर ना करने के अस्वीकृति का आदेश।

(4) किसी वाद के उपशमन से निपटारे का आदेश।

(5) किसी वाद में विधिक प्रतिनिधि के लिये दिये गये आवेदन को खारिज करने का आदेश।

(6) किसी डिक्री के निष्पादन को रोकने का आदेश।

प्रश्न 601. कौन से आदेश हैं जो डिक्री नहीं हैं ?

उत्तर— 1. स्थगन का इन्कार करने का आदेश।

2. अंकिचन के रूप में वाद दायर करने की अनुमति के आवेदन को अस्वीकृत करने का आदेश।

3. कमीशनर नियुक्त करने का आदेश।

4. भारतीय न्यास अधिनियम के अन्तर्गत न्यासी को हटाने का आदेश।

5. कोर्ट फीस ना चुकाने के कारण अपील के ज्ञापन को अस्वीकृत करने का आदेश।

प्रश्न 602. क्या डिक्री का निष्पादन वास्तविक विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादित की जा सकती है, जब वह गलत विधिक प्रतिनिधि के पक्ष में कर दी गई हो ?

उत्तर— विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादित की जा सकती है—

1. सद्भावनापूर्वक।
2. दुःसन्धि नहीं हो।
3. डिक्रीधारी अन्जान हो वह उसको सही मान रहा हो।
4. वास्तविक प्रतिनिधि को मालूम होते हुये भी अपने प्रतिनिधित्व का मामला नहीं उठाया गया हो।

प्रश्न 603. संविदा भंग होने पर वाद कहां होगा ?

उत्तर— संविदा—भंग के कारण हर्जाना वसूली के वाद—संहिता—भंग के कारण हर्जाना वसूल करने के वाद में, वाद—कारण, संविदा करने और उसका भंग करने से बनता है और वाद या तो उस स्थान पर दायर किया जा सकता है जहां संविदा की गई थी, या उस स्थान पर जहां पालन किया जाना चाहिए था और उसका भंग हुआ था। जहां कि करार द्वारा संविदा—पालन को कोई स्थान विहित नहीं किया जाये।

प्रश्न 604. "विक्रय की संविदा" से सम्बन्धित वाद कहां दायर होगा ?

उत्तर— विक्रय की संविदा— माल का अर्पण (परिदान न करने के) आधार पर, कोई मुकदमा उस स्थान की अदालत में, वाद लाया जा सकता है, जहां कि माल का परिदान और उसकी कीमत की अदायगी की जाने को थी। जहां कि पत्र—व्यवहार द्वारा कोई संविदा की गई है वहां उस स्थान की अदालत में, वाद लाया जा सकता है, जहां कि स्वीकृत अभिव्यक्त की जाती है। पत्र—व्यवहार द्वारा संविदा वहां की जाती है, जहां कि स्वीकृति का पत्र डाक में छोड़ा जाता है और यदि ऐसी स्वीकृति किसी ऐसी शर्त के पालन द्वारा की जाने को है, तो वह वाद उस स्थान पर दायर किया जा सकता है, जहां कि शर्त का पालन किया जाता है।

प्रश्न 605. मध्यवर्ती लाभ से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— धारा 2(12) के अनुसार सम्पत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त लाभ है एवं जिसे मामूली तत्परता से प्राप्त किया जा सकता था। इसमें अर्जित व्याज व अभिवृद्धियों के कारण लाभ भी है लेकिन ऐसे व्यक्ति द्वारा किये गये सुधार के कारण प्राप्त लाभ इसमें शामिल नहीं है। अतः मध्यवर्ती लाभ के लिये—

1. सम्पत्ति पर सदोष कब्जा होना चाहिये।
2. ऐसे सदोष कब्जे से कब्जेधारी ने लाभ प्राप्त किया हो।

प्रश्न 606. प्रतिवादी को सम्मन देने के विभिन्न तरीकों को समझाइये।

उत्तर— सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 9 से 20 तक में प्रतिवादी पर समन की तामील के निम्न तरीकों को बताया गया है:—

- (क) व्यक्तिशः अर्थात् प्रत्यक्ष तामील;
- (ख) प्रतिवादी के अभिकर्ता या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को समन की प्रति देकर;
- (ग) प्रतिवादी के निवास स्थान पर या कारबार के स्थान पर समन की प्रति चस्पा करके;
- (घ) डाक द्वारा तामील;
- (ङ) प्रतिस्थापित तामील;
- (च) स्पीड पोस्ट, कोरियर सर्विस अथवा फैंक्स मैसेज द्वारा तामील।

प्रश्न 607. "अन्तःकालीन लाभ" से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(12) में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है— कब्जा का अधिकार एक पवित्र अधिकार होता है, जिसकी गारन्टी कानून मानने वाले सभी नागरिकों को दी गयी है। जब कोई व्यक्ति अपने कब्जे से वंचित कर दिया जाता है, तब वह उस कब्जे को केवल वापस पाने का हकदार नहीं होता है, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किये गये दोषपूर्ण कब्जे के लिये हर्जाने का भी हकदार होता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता ने सम्पत्ति के मध्यवर्ती की परिभाषा इस प्रकार की है—ये वे लाभ हैं, जिनको साधारण संचेतना (ordinary diligence) द्वारा प्राप्त किया होता और इन लाभों में उस सम्पत्ति पर ब्याज हो, तो उससे मिलने वाले मध्यवर्ती लाभों में नहीं आते।

प्रश्न 608. प्रत्यास्थापना से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— धारा 144 के अन्तर्गत यदि किसी डिक्री के निष्पादन में कोई सम्पत्ति या लाभ किसी पक्षकार को दे दिया जाता है और वह डिक्री या आदेश अपील, पुरनीक्षण या पुनर्विलोकन में उलट दिया जाता है तो न्यायालय यह आदेश देगा कि वह पक्षकार जिसने पूर्व निर्णय या आदेश के कारण कोई लाभ या सम्पत्ति प्राप्त की है तो उसे दूसरे पक्षकार को लौटा दे। अतः प्रत्यास्थापना का उद्देश्य डिक्री के पूर्व की स्थिति को प्रत्यास्थापित करता है।

प्रश्न 609. "विरोधी के अभिवचनों का संशोधन" से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर— विरोधी के अभिवचनों का संशोधन—अदालत, कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में किसी अभिवचन में से किसी विषय को निकाल देने या संशोधित करने का आदेश कर सकेगी जो— (1) अनावश्यक, (2) अपमानजनक या (3) जो मुकदमे में उचित परीक्षण को विलम्बित करने की या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की, परेशान करने की प्रवृत्ति रखता हो (आदेश 6, नियम 16)। यह नियम किसी पक्षकार को, उपर्युक्त शर्तों पर जो किसी मामले को लागू होती हैं, विरोधी पक्ष के अभिवचन को संशोधित करने में समर्थ बनाता है। जहां कि कोई वाद—पत्र केवल शाब्दिक, अस्पष्ट तथा समझने योग्य नहीं है वहां अदालत या तो उसे निकाल सकती है या संशोधित करने का आदेश दे सकती है। ऐसे अभिवचन जो अदालत के लिए अमानपूर्ण हों, निकाल दिये जा सकते हैं।

प्रश्न 610. प्रतिभूति जमानत से क्या तात्पर्य है ? बताइये।

उत्तर— सी.पी.सी. के आदेश 38 नियम 2 में प्रतिभूति जमानत को इस प्रकार बताया गया है—जहां कि प्रतिवादी ऐसा कारण दिखाने में असफल हो जाता है, जहां न्यायालय, उसकी न्यायालय में उतनी रकम या ऐसी सम्पत्ति जमा करने का आदेश देगा, जो उसके खिलाफ दावे को चुनौती करने के लिए पर्याप्त है, या जब तक वाद लंबित है, या जब तक किसी ऐसी डिक्री को चुनौती नहीं हो जाती है, जो उसे वाद में उसके खिलाफ पारित की जा सकेगी, किसी भी समय, जबकि बुलाया जाये, उसकी हाजिरी के लिये जमानत देने का आदेश देगी।

प्रश्न 611. "फैसले के पूर्व कुर्की" से क्या अभिप्रेत है ? बताइये।

उत्तर— सी.पी.सी. के आदेश 38 नियम 5 में "फैसले से पूर्व कुर्की" को बताया गया है, जो इस प्रकार है— जहां कि वाद के किसी प्रक्रम में, न्यायालय हलफनामा से या अन्यथा सन्तुष्ट है कि प्रतिवादी, अपने खिलाफ दी जाने वाली किसी डिक्री के निष्पादन को रोकने या विलम्बित करने के आशय से—

- (क) अपनी पूरी सम्पत्ति को, या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला हो, या
- (ख) अपनी सम्पत्ति को या उसके किसी भाग को न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से हटाने वाला हो।

प्रश्न 612. क्या कुर्की के बाद सम्पत्ति का निजी अन्तरण शून्य है ?

उत्तर— सी.पी.सी. की धारा 64 में प्रावधान किया गया है कि जहां कुर्की हो गयी हो, वहां उस कुर्की की गई सम्पत्ति का कोई निजी अन्तरण या परिदान या उसमें कि किसी हित का अन्तरण या

परिदान, निर्णय ऋणी को किसी ऋण को किसी ऋण की अदायगी, या दूसरे धन, जो ऐसी कुर्की के प्रतिफल है, उन सभी दावों के विरुद्ध शून्य होंगे जो उस कुर्की के अधीन लागू किये जाने योग्य होंगे। लेकिन कुर्की केवल निजी अन्तरण को रोकती है और हटाती है, और कुर्क करने वाले ऋणदाता को कोई अधिकार नहीं देती है। यह किसी दूसरी डिब्री के निष्पादन में किसी न्यायिक देवी को उपाय नहीं करती है। फिर, कुर्की के दौरान में किया गया निजी अन्तरण केवल उन्हीं सब दावों के विरुद्ध शून्य होगा, जो कि विशेष कुर्की के अधीन लागू करने योग्य होंगे और किसी दूसरे के विरुद्ध नहीं। [Ambs v. Kelau, I.L.R. Mad., 970]

प्रश्न 613. डिब्री का निष्पादन करने का अधिकार किसको प्राप्त है ?

उत्तर— 1. डिब्रीदार को।

2. जहाँ पर दो या अधिक डिब्रीदार हों तो उनमें से सभी पर या कोई भी।

3. यदि डिब्रीदार की मृत्यु हो गई हो तो उसका वैध प्रतिनिधि।

4. यदि डिब्री किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित कर दी गई हो तो अन्तरिती को।

प्रश्न 614. डिब्री का निष्पादन किस प्रकार किया जा सकता है ? संक्षिप्त में बताइये।

उत्तर— सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 36 उपबंधित करती है कि डिब्रियों के निष्पादन के विषय में जो नियम विहित किए गए हैं वह नियम आदेशों के निष्पादन पर भी लागू होंगे।

निष्पादन की कार्यवाही सामान्यतः दो प्रकार से की जा सकती है—

(क) व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही,

(ख) सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही।

प्रश्न 615. दीवानी प्रकृति के वाद से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— जहाँ कोई प्रश्न किसी सम्पत्ति या पद से सम्बन्ध रखता हो तो ऐसा वाद दीवानी प्रकृति का निर्धारण किसी जातिगत धार्मिक अथवा अनुष्ठित के प्रश्न के निर्धारण पर निर्भर करता हो पद के साथ मुल्क या लाभ संगठित है या नहीं, दीवानी प्रकृति के वाद के निर्धारण के लिये निरर्थक है।

प्रश्न 616. निर्णय को समझाइये। यह कब दिया जाता है और इसकी आवश्यक विषय—वस्तु क्या होती है ?

उत्तर— सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(9) में बताये अनुसार निर्णय से न्यायाधीश द्वारा किसी या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है। आदेश 20 नियम 1 के अन्तर्गत न्यायालय मामले की सुनवाई करने के बाद निर्णय या तो तुरन्त या मामले की सुनवाई की समाप्ति की दिनांक से 20 दिवस के भीतर सुनाने का प्रयास करेगा, किन्तु जहाँ ऐसा करना साध्य नहीं हो वहाँ वह मामले की सुनवाई पूर्ण होने की दिनांक से 60 दिवस के भीतर सुनायेगा। निर्णय की अन्तर्वस्तु है— मामले का संक्षिप्त कथन, अन्तर्गत प्रश्न, ऐसे अन्तर्गत प्रश्नों पर विनिश्चय, और ऐसे विनिश्चय का कारण (सी पी सी के आदेश 20 नियम 4)।

प्रश्न 617. किन परिस्थितियों में निर्णित ऋणी को छोड़ा जा सकता है ?

उत्तर— निर्णित ऋणी अपने उत्तरदायित्व से सिर्फ दो परिस्थितियों में विमुक्त हो सकता है—

1. जब वह न्यायालय के सामने पेश हो और न्यायालय से अपने दिवालियोगन का इजाजत करे और न्यायालय उसे दिवालिया घोषित कर दे।

2. जब निर्णित आणी सिविल कारावास में कारावास नोग भुका हो और डिफिनीरी यह समझता है कि उसका कारावास उसके लिये समुचित सजा भी है तो वह न्यायालय से प्रार्थना कर निर्णित आण को अपने उत्तरदायित्व से विमुक्त कर सकता है। (आदेश 21)

प्रश्न 618. विधिक प्रतिनिधि से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— विधिक प्रतिनिधि से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी मृतक की सम्पदा का विधिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है तथा इसमें सम्मिलित है ऐसा व्यक्ति जो मृतक की सम्पदा में दखलदाजी करता हो तथा यदि वाद प्रतिनिधित्व की हैसियत से दायर किया जाता है या उसके विरुद्ध किया गया हो तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसे प्रतिनिधि की मृत्यु के बाद उसकी सम्पदा के अवतरण का अधिकारी होता है। (आदेश 2(11))

प्रश्न 619. सिविल प्रक्रिया संहिता अनुसार "संक्षिप्त प्रक्रिया" से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर— संक्षिप्त प्रक्रिया (Summary Procedure) को सी.पी.सी. के आदेश 37 नियम 1 में बताया गया है जो निम्न है—

न्यायालय और वादों के प्रकार जिन पर यह आदेश लागू होगा—संक्षिप्त प्रक्रिया सन्निहित नियम निम्नलिखित वादों पर लागू होंगे— (क) उच्च न्यायालय, नगर सिविल न्यायालय और स्मृणाद न्यायालय, (ख) अन्य न्यायालय खण्ड (ख) में उल्लिखित न्यायालयों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय सरकारी गजट में नोटिफिकेशन द्वारा इस आदेश के प्रवर्तन को केवल ऐसे वादों तक सीमित कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे और सरकारी गजट में उत्तरवर्ती नोटिफिकेशन के द्वारा आदेश 37 के नियम 1 के प्रवर्तन, जैसा वह उचित समझे, वादों के किन्हीं श्रेणियों तक प्रतिबन्धित, विस्तारित या भिन्नकृत कर सकता है।

प्रश्न 620. "संक्षिप्त वादों को संस्थित किया जाना" से आप क्या समझते हैं, बताइये।

उत्तर— सी.पी.सी. के आदेश 37 नियम 2 के अनुसार— "एक वाद जिस पर आदेश 37 लागू होता है, यदि वादी चाहता है तो एक वाद—पत्र के रूप में दाखिल किया जा सकता है जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी, (क) एक निश्चित कथन से यह वाद आदेश 37 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है (ख) यह कि ऐसा कोई अनुलोप (alleged) वाद—पत्र में नहीं मांगा गया है जो कि इस नियम के अन्तर्गत नहीं आता, और (ग) वाद की संख्या और शीर्षक लिखने के तुरन्त बाद निम्नलिखित का उल्लेख किया जायेगा— ("सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 37 के अन्तर्गत")

प्रश्न 621. विचाराधीन वाद से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— 1. दो वादों का होना आवश्यक जो पूर्ववर्ती एवं परवातवर्ती होना चाहिये।

2. विवादाक तथ्य दोनों वादों के प्रत्यक्ष एवं सारपूर्ण रूप से समान होना आवश्यक है।
3. पूर्ववर्ती वाद एवं परवातवर्ती वाद एक ही अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में संस्थित हो।
4. दोनों वादों में पक्षकार एक ही हक के अधीन वाद कर रहे हों।
5. वह न्यायालय जिसमें वाद विचाराधीन है परवातवर्ती वाद को विचारण के लिये ग्रहण नहीं करेगा।

प्रश्न 622. विचाराधीन वाद का क्या उद्देश्य है ?

उत्तर— इसका उद्देश्य वादों की बहुलता को रोकना है। जब कभी एक ही हक का वाद एक से अधिक न्यायालय जो वाद या क्षेत्राधिकार रखते हैं, लापर कर दिये जाते हैं तो अगर किसी न्यायालय